विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

दिनांक 02/08/21

क्रमांक/पीएच. डी/निर्देशक/2021/ 373

प्रेषक :

कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

प्रति,

डॉ. गोविन्द गन्धे
प्राचार्य
लो. नि. विज्ञान एवं वाणिज्य महा. उज्जैन

विषय :– विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शोध निदेशकों की सूची में आपके नाम का समावेश ।

सन्दर्भ :– शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 20/03/21 का निर्णय।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में आपके आवेदन दिनांक —x— के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि शोध अध्यादेश क्र. 90 के खण्ड 19 उपखण्ड (अ) के प्रावधानानुसार शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 20/03/21 के निर्णय के परिपालन में आपको कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत विषय के शोध निदेशक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

यह मान्यता केवल तभी तक निरन्तर रहेगी जब तक आप विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में पदस्थ रहेंगे अथवा सेवानिवृत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में निवासरत रहेंगें ।

भवदीय,

उप/सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/पीएच. डी/निर्देशक/20 21/91 दिनांक 16/6/21

प्रेषक :

कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

प्रति,

डॉ. अनीता अग्रवाल
सहायक प्राध्यापक
लोक. विज्ञान एवं वाणिज्य महा. उज्जैन

विषय :– विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शोध निदेशकों की सूची में आपके नाम का समावेश ।

सन्दर्भ :– शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 20/03/21 का निर्णय।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में आपके आवेदन दिनांक —x— के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि शोध अध्यादेश क्रं. 90 के खण्ड 19 उपखण्ड (अ) के प्रावधानानुसार शोधापाधि समिति की बैठक दिनांक 20/03/21 के निर्णय के परिपालन में आपको कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी विषय के शोध निदेशक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

यह मान्यता केवल तभी तक निरन्तर रहेगी जब तक आप विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में पदस्थ रहेंगे अथवा सेवानिवृत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में निवासरत रहेंगें ।

भवदीय,

उप/सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/पीएच. डी/निर्देशक/2021/100 दिनांक 16/6/21

प्रेषक :

कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

प्रति,

डॉ. अक्षिता तिवारी.
सहायक प्राध्यापक.
लो.नि.विज्ञान एवं वाणिज्य महा. उज्जैन.

विषय :– विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शोध निदेशकों की सूची में आपके नाम का समावेश ।

सन्दर्भ :– शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 23/03/21 का निर्णय।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में आपके आवेदन दिनांक ——X—— के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि शोध अध्यादेश क्रं. 90 के खण्ड 19 उपखण्ड (अ) के प्रावधानानुसार शोधापाधि समिति की बैठक दिनांक 23/03/21 के निर्णय के परिपालन में आपको वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत वाणिज्य विषय के शोध निदेशक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

यह मान्यता केवल तभी तक निरन्तर रहेगी जब तक आप विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में पदस्थ रहेंगे अथवा सेवानिवृत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में निवासरत रहेंगें ।

भवदीय,

उप/सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/पीएच. डी/निर्देशक/20 21/101 दिनांक 16/6/21

प्रेषक :

कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

प्रति,

डॉ. केतकी त्रिवेदी
सहायक प्राध्यापक
को. वि. विज्ञान एवं वाणिज्य महा. उज्जैन.

विषय :— विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शोध निदेशकों की सूची में आपके नाम का समावेश ।

सन्दर्भ :— शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 23/03/21 का निर्णय।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में आपके आवेदन दिनांक —x— के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि शोध अध्यादेश क्रं. 90 के खण्ड 19 उपखण्ड (अ) के प्रावधानानुसार शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 23/03/21 के निर्णय के परिपालन में आपको वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत वाणिज्य विषय के शोध निदेशक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

यह मान्यता केवल तभी तक निरन्तर रहेगी जब तक आप विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में पदस्थ रहेंगे अथवा सेवानिवृत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में निवासरत रहेंगे ।

भवदीय,

उप/सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / पीएच. डी / निर्देशक / 20.21../ 102

दिनांक 16/6/21

प्रेषक :

कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

प्रति,

डॉ. नितीषा तोषनीवाल,
सहायक प्राध्यापक
शासकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महा. उज्जैन

विषय :– विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शोध निदेशकों की सूची में आपके नाम का समावेश ।

सन्दर्भ :– शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 23/03/21 का निर्णय।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय में आपके आवेदन दिनांक ——×—— के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि शोध अध्यादेश क्रं. 90 के खण्ड 19 उपखण्ड (अ) के प्रावधानानुसार शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 23/03/21 के निर्णय के परिपालन में आपको वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत वाणिज्य विषय के शोध निदेशक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

यह मान्यता केवल तभी तक निरन्तर रहेगी जब तक आप विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में पदस्थ रहेंगे अथवा सेवानिवृत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में निवासरत रहेंगे ।

भवदीय,

उप / सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/पीएच. डी/निर्देशक/20 21/ 81

दिनांक 16/6/21

प्रेषक :

कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

प्रति,

डॉ. मीनल वनपट,
सहायक प्राध्यापक,
ज्योति विज्ञान एवं वाणिज्य महा उज्जैन

विषय :– विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शोध निदेशकों की सूची में आपके नाम का समावेश ।

सन्दर्भ :– शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 23/03/21 का निर्णय।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में आपके आवेदन दिनांक ——x—— के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि शोध अध्यादेश क्रं. 90 के खण्ड 19 उपखण्ड (अ) के प्रावधानानुसार शोधापाधि समिति की बैठक दिनांक 23/03/21 के निर्णय के परिपालन में आपको वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत वाणिज्य विषय के शोध निदेशक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

यह मान्यता केवल तभी तक निरन्तर रहेगी जब तक आप विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में पदस्थ रहेंगे अथवा सेवानिवृत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में निवासरत रहेंगें ।

भवदीय,

उप/सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/पीएच. डी/निर्देशक/20.21./ 1019 दिनांक 6/10/2021

प्रेषक :

कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

प्रति,

डॉ. स्मृति जैन,
सहायक प्राध्यापक,
शा. विज्ञान एवं वाणिज्य महा. उज्जैन.

विषय :– विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शोध निदेशकों की सूची में आपके नाम का समावेश ।

सन्दर्भ :– शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 23/03/21 का निर्णय।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में आपके आवेदन दिनांक —×— के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि शोध अध्यादेश क्रं. 90 के खण्ड 19 उपखण्ड (अ) के प्रावधानानुसार शोधोपाधि समिति की बैठक दिनांक 23/03/21 के निर्णय के परिपालन में आपको वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत वाणिज्य विषय के शोध निदेशक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

यह मान्यता केवल तभी तक निरन्तर रहेगी जब तक आप विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में पदस्थ रहेंगे अथवा सेवानिवृत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में निवासरत रहेंगें ।

भवदीय,

उप/सहायक कुलसचिव (अकादमिक)